उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001
दूरभाष: 0522–2621737, 2274250
फैक्स: 0522–2623578, 2615526

पत्र सं0: 302 रोपी/15–07 रोपी/जनरल/2014 दिनांक: 3.2. जनवरी, 2015

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

मा0 परिवहन मंत्री जी, निगम निदेशक मण्डल, प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष परिवहन निगम तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय–समय पर यह आदेश/निर्देश दिये गये हैं कि कोई भी बस ट्रिपवार 50% से कम लोड फैक्टर पर एवं कोई भी बस सेवावार 65% से कम लोड फैक्टर पर संचालित न की जाये। इस संबंध में निगम मुख्यालय द्वारा निर्देश भी जारी किये गये है, लेकिन प्रतिफलों की समीक्षा से स्पष्ट हुआ है कि, अभी भी 50% से कम लोड फैक्टर पर बस ट्रिप एवं 65% से कम लोड फैक्टर पर बस सेवाएं संचालित करके निगम को क्षति पहुँचायी जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

1. बस स्टेशन के गेट पर स्टेशन इंचार्ज अथवा किसी उपयुक्त कर्मी की ड्यूटी लगायी जाये, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि बस स्टेशन से निकलने वाली समस्त बसों में न्यूनतम 50% यात्री टिकट लेकर सवार हो चुके हैं यदि बस में 50% यात्री नहीं हैं तो पहले यह सुनिश्चित कराया जाये कि एक ही रूट पर जाने वाली पहले से खड़ी बस में पहले 50% सवारियां बैठायें, चाहे वह अन्य किसी क्षेत्र/डिपो की बस क्यों न हो। इसी क्रम में प्रथम आगत प्रथम जावत (First come first serve basis) आधार पर एक–एक करके बसों में उपलब्ध सीटों के 50% से अधिक सवारियां बैठाने का प्रयास किया जायेगा। मार्ग चेकिंग कार्मिक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके चेकिंग क्षेत्र में किसी भी रूट पर 50% से कम लोड फैक्टर पर कोई ट्रिप संचालित न हो। चेकिंग दल उस पर चलने वाली बसों की सवारियों को एकजाई करके 50% से अधिक यात्री बैठाने का कार्य करेगें।

2. उपरोक्त का अनुपालन न होने की दशा में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, स्टेशन अधीक्षक, टाइम कीपर/समय पाल/मार्ग चेकिंग कार्मिकों एवं समय से बस आउटशेड न होने एवं विलम्ब से आउटशेड की दशा में डिपो में तैनात सीनियर फोरमैन/जूनियर फोरमैन एवं क्षेत्र के सेवा प्रबन्धक जिम्मेदार होंगे। ट्रिपवार 50% एवं सेवावार 65% से कम लोड फैक्टर प्राप्त होने पर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, स्टेशन अधीक्षक, टाइम कीपर/समय पाल/मार्ग चेकिंग कार्मिक एवं समय से बस आउटशेड न होने की दशा में सीनियर फोरमैन/जूनियर फोरमैन व क्षेत्र के सेवा प्रबन्धक के वेतन से रिकवरी की जायेगी उदाहरण स्वरूप किसी ट्रिप का लोड फैक्टर 44% प्राप्त होने पर 65% लोड फैक्टर की आय से 44% की आय को घटाकर अन्तर की धनराशि की पेनाल्टी वसूल की जायेगी। इसी प्रकार किसी बस सेवा का लोड फैक्टर 54% प्राप्त होने पर

Downloaded from www.upsrtc.com

75% लोड फैक्टर की आय से 54% लोड फैक्टर की आय को घटाकर अन्तर की धनराशि की पेनाल्टी वसूल की जायेगी। ईंधन, मेण्टीनेन्स, वेजेज, टैक्स आदि में निगम के धन का व्यय होता है। अतः अभ्यस्त दोषियों के विरूद्ध सरकारी धन का गबन और व्ययापहरण की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करायी जा सकती है।

3. 65% से अधिक आय लाने पर चालक, परिचालक, समय पाल, मार्ग चेकिंग कार्मिक, स्टेशन इंचार्ज, स्टेशन अधीक्षक, जूनियर फोनमैन, सीनियर फोनमैन, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक आदि को टार्गेट से अधिक प्राप्त आय का उचित इन्सेन्टिव दिया जायेगा, जिसे प्रतिमाह आंकलित किया जायेगा।

4. क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उक्त का पूरा रिकार्ड रखेंगे एवं प्रतिदिन मॉनीटरिंग करते हुए ऑनलाइन वेबसाईट www.upsrtc.com पर पोर्टल पर अपनी डायरी के माध्यम से समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा यह सुनिश्चित करें एवं सर्टिफिकेट देंगे कि, ट्रिपवार 50% एवं सेवावार 65% से कम लोड फैक्टर पर कोई बस संचालित नही की गई है। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितियों में यथा दैवीय आपदा, प्रशासनिक आपातकालीन परिस्थितियों आदि के कारण कोई बस ट्रिप 50% से कम एवं कोई बस सेवा 65% से कम लोड फैक्टर पर संचालित की गई है तो उसके कारण का उल्लेख करते हुए अपर प्रबन्ध निदेशक स्तर से अनुमन्य कराया जायेगा।

उक्त आदेश सभी को नोट कराकर पावती रसीद सुरक्षित रखें।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपिः समसंख्यक/समदिनांकित।</u>

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय।
2. विधि परामर्शदाता, परिवहन निगम मुख्यालय।
3. वित्त नियन्त्रक, परिवहन निगम मुख्यालय।
4. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशा0/संचा0/प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय।
5. समस्त प्रधान प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय।
6. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0परिवहन निगम को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।
7. श्री विनीत सेठ, प्रबन्धक(एमआईएस), परिवहन निगम मुख्यालय को फार्मेट निर्धारित कराते हुए दिनांक 31.01.2015 तक सम्बन्धित अधिकारियों को फार्मेट एवं टोकन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. प्रवक्ता, परिवहन निगम मुख्यालय।
9. अध्यक्ष/प्र0नि0/अ0प्र0नि0 कैम्प, निगम मुख्यालय।

3/02/15

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com